कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 2021/2018 राजेश कटारा वनाम राज्य सरकार में माननीय अपील अधिकरण–जयपुर के आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 18.06.2018 का क्रियान्वयन (अपीलार्थी राजेश कटारा, व्याख्याता संस्कृत) के संबंध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण अपील में दिये जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजेश कटारा व्याख्याता संस्कृत राउमावि सेवर, भरतपुर में एवं अर्चना शर्मा व्याख्याता संस्कृत राबाउमावि कामां, भरतपुर में कार्यरत रहेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सम्पादित करें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी–संस्कृत/2018 दिनांक: 07/08/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत :–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जयपुर
3. अति० जि.शि.अ. (माध्यमिक विधि) जयपुर
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II), भरतपुर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करवाकर अवगत करावें।
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक,
8. अनुभाग अधिकारी विधि कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा–मा/विधि/बी–3/29976/बी/18 दिनांक 26.07.2018 के क्रम में।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा श्रीमती किरण बाला यादव व्याख्याता अंग्रेजी राबाउमावि संगरिया हनुमानगढ का स्थानान्तरण राउमावि केराप डीडवाना नागौर किये जाने पर इनके द्वारा इस आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8012/18 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिये है।

याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्थानान्तरित स्थान इनके गृह जिले से दूर है एंव पति हृदय रोग से पीडित होने के कारण गृह जिले हनुमानगढ पदस्थापन चाहा है।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि इनका स्थानान्तरण विभाग की प्रशासनिक आवश्यकता एंव व्यवस्थानुसार किया गया है एंव इन्हे स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता एंव योग काल दिया गया है। यह भी पाया गया कि व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय सेवा का पद है जिससे छात्र हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसी भी क्षेत्र में नियुक्त/पदस्थापित किया जा सकता है।

इसके आधार पर अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।
सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–1/एसबीसि.या.सं. 8012/किरण बाला यदव/2018 दिनांक: 03/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
3. अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि केराप, डीडवाना (नागौर)/बा. संगरिया, हनुमानगढ
5. Regd श्रीमती किरण बाला यादव पत्नी लक्ष्मण सिंह यादव म0 न0 32 चक ज्वालासिंहवाला रोड, रावल ग्रीन नगर, हनुमानगढ
6. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8012/18 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. रक्षित पत्रावली
8. कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15

(a) CVB

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 953/2018 एवं 1938/2018 मंजूलता बनाम राज्य सरकार में माननीय अपील अधिकरण–जयपुर के आदेश दिनांक 19.06.2018 एवं 24.07.2018 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 27.05.2018 एवं 06.06.2018 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (मंजूलता व्याख्याता संस्कृत) के संबंध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण अपील में दिये जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन मंजूलता व्याख्याता संस्कृत राबाउमावि महावीर नगर–III, कोटा में एवं नरेन्द्र कुमार कंसूरिया व्याख्याता संस्कृत राउमावि अमरपुरा, कोटा में कार्यरत रहेंगे।

संबंधित सस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सम्पादित करें।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानान्तरण/संस्कृत/2018 दिनांक: 07/08/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जयपुर
3. अति० जि.शि.अ. (माध्यमिक विधि) जयपुर
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कोटा
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करवाकर अवगत करावें।
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक,
8. अनुभाग अधिकारी विधि कार्यालय हाजा को अपील की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. रक्षित पत्रावली
10. कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Order